न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 295 सन 2013

अनवान :–

1. महावीर पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्रमाप पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. रणजीत पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. हेमराज पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. मिश्रीलाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
5. हरीसिह पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. अमरसिह पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. गुडडी पत्नी स्वगीय धर्मपाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सजना पुत्री धर्मपाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. हनुमान पुत्र चन्दो पुत्री किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सुभाष पुत्र चन्दो पुत्री किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. हरचन्द पुत्र हंसराम पुत्र रिखाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. गुडडी पत्नि स्वर्गीय बनवारीलाल जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल पुत्र हसराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
14. शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल पुत्र हसराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
15. दलीप पुत्र हीराराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
16. रामस्वरूप पुत्र चन्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
17. जयलाल पुत्र चन्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
18. विधादेवी पत्नि श्योनारायण जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहरं।
19. शारदा पत्नि संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. सुरेन्द्र पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
21. विरेन्द्र पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
22. मानसिह पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
23. भरतसिह पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
24. सुभाष पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
25. बाला पुत्री मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
26. मलागिरी पत्नी मनीराम पुत्र गनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
27. चन्द्रभागी पत्नि श्योलाल जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
28. राजेन्द्र पुत्र श्योलाल जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
29. विधादेवी पुत्री श्योलाल पत्नी बृजलाल जाति नाई निवासी शेखपुरिया तहसील सिरसा जिला सिरसा

असल प्रतिवादी

30. जयसिह पुत्र धन्ना जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
31. शान्ति उर्फ भली पत्नी धन्ना जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
32. रेशमी पुत्री धन्ना पत्नि श्रवण जाति नाई निवासी लक्ष्मी आईस फैक्टी के पास नोहर जिला हनुमानगढ।
33. सुमित्रा पुत्री धन्ना पत्नि भूपसिह जाति नाई साकिन शकुर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा
34. शकुन्तला पुत्री धन्ना पत्नि पुनीम जाति नाई साकिन शंकर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा हाल मलखेडा तहसील भादरा
35. लिछमा पुत्री धन्ना पत्नि धर्मपाल जाति नाई साकिन शुकर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा हाल मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

36. कृष्णा पुत्री धन्ना पत्नि गोगराज जाति नाई साकिन शमशान घाट के पास नोहर
तरतीबी प्रतिवादी

37. स्टेट ऑफ राजस्थान जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर।

38. एसबीबीजे शाखा फेफाना तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ,53 ,188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की तहसील नोहर के ग्राम फेफाना में रिखारम , मामराज, काशीराम पि0 मोतीराम जाति नाई निवास करते थे तीनों भाईयो के कब्जा काश्त में रोही मोजा फेफाना की भूमि थी अर्थात तीनों भाईयो की नोतोड करदा भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 में दर्ज है रिखाराम मामराज काशीराम तीनों फोत हो चुके है काशीराम पुत्र मोतीराम अपने अन्य दो भाईयों से पहले फोत हुआ था उसकी पत्नि के काशीराम से कोई औलाद नहीहुई काशीराम के देहान्त होने के बाद मामकोरी से दुसरी शादी फुसाराम से कर ली इसलिये काशीराम की भूमि के हकदार उसके दोनो भाई हुऐ काशीराम के फोत होने पर दोनो भाई काश्त करते थी जिसमें से 18 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 16 ,17 को बैय कर दी एवं 29 बीधा भूमि राकोरी पत्नि शेराराम को बैय कर दी राकोरी के देहान्त होने के बाद राकोरी की भूमि हीरालाल पुत्र शेराराम को प्राप्त हुई हीरालाल के फोत होने के बाद उसके अन्य वारिसान द्वारा दस्तवरदारी करवाने पर उसके लडके प्रतिवादी संख्या 15 दलीप के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुई ।

रोही मौजा फेफाना की भूमि भाखडा नहर परियोजना में आने पर चकबन्दी में वाद भूमि दो चकों 3 केएनएन एवं 6 केएनएन में पैमुद हुई दोनो चकों की सीमाए आपस में मिलती हुई है वाद भूमि 95 बीधा का एकल खेत है जिसमें मामराज 18 बीधा रामस्वरूप जयलाल प्रतिवादी संख्या 16 ,17 काश्त करते आ रहे है जैसे मामराज काश्त करता था मामराज ने जो भूमि राकोरी बेवा शेराराम को बेचान की उसका कब्जा मामराज ने बटवारा में जैसे मिली उसी प्रकार सभलवा दिया था इसप्रकार राकोरी चक 3 केएनएन में 26 बीधा खरीद के समय दी गई तथा चक 6 केएनएन की 3 बीधा का कब्जा सम्भला दिया था उसकी प्रकार दोना चको में राकोरी काश्त करती आ रही है तथा हीरालाल के फोत होने पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 15 दोनों चकों की 29 बीधा भमि का अकेला खातेदार काश्तकार है इसप्रकार वाद भूमि वादी की मंद संख्या 7 के अनुसार किला न0 पत्थर नम्बर में पैमुद होकर दो चको 3 केएनएन एव चक 6 केएनएन में पैमुद हुई है चक 3 केएनएन में कुल 21.50495हैक् एवं चक 6 केएनएन में कुल 2.529हैक् भूमि मृतक धन्नाराम , किरताराम , हसराम के वारिसान व प्रतिवादीगण नम्बर 15 ता 19 की मुश्तरका खातेदारी भूमि है।

तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 को फुलाराम की वसीयत में मिली 6 बीधा भूमि जरिये बेयनामा मिली एवं प्रतिवादी संख्या 18 ,19 को बेय कर दी जो उनके कब्जा काश्त में है तथा 6 बीधा भूमि तरतीबी प्रतिवादी संख्याा 30 अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है उसका नाम फुलाराम की जगह वसीयग के आधार पर दर्ज हो गया जो बिना किसी आधार के 6 बीधा भूमि बेचान करने पर बिना किसी आधार के हटा दिया जो 120 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

रिखाराम फोत हो चुका है जिसके चार वारिस हसंराज किरताराम फुलाराम व धन्नाराम हुए जिसमे से हंसराज फोत हो चुका है जिसके वारिस बनवारी व हरचन्द हुए जिसमें से बनवारी फोत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 11 से 14 है एवं उनकी पत्नि बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये बनवारी की भूमि के हकदार प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 हुए किरताराम भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तथा प्रतिवादी संख्या 7 ,8 उसके मृतक पुत्र धर्मपाल के वारिस है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ,10 किरताराम की पुत्री चन्दो के वारिस है तथा धन्नाराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भी फोत हो चुका है जिसके वारिस वादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 है फुसाराम भी फोत हो चुका है जिसके अपने हक हिस्सा की वसीयत के अनुसार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 जयसिह है तथाा वसीयत के आधार पर तरतीबी प्रतिवादी सख्या 30 है जिसने 6 बीधा भूमि बेचान करने के वाद शेष 6 बीधा भूमि से नाम बिना किसी आधार के हटा दिया जो पुन अपने नाम 6 बीधा भूमि करवाने का अधिकारी है मामकोरी बेवा काशीराम का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है जो फोत भी हो चुकी है जिसके काई वारिस नही है मामराज ने वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा था बेचान कर दिया है कोई हिस्सा शेष नही है उसका नाम दोनो चको की भूमि से हटाया जाना है।

वाद भूमि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 130/71 की कुल 21. 50495हैक्‍ में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 36 सातों बहिब 220 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 30 जयसिह 120 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 दसो 240 हिस्सा के एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 छहो बहिब 6/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 ,10 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 चारो 240 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 दलीप अकेला 520 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 240 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18 ,19 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 20 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है इसी प्रकार रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 93/85 की कुल 2.5290हैक्‍ भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 आठो बहिब 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का 60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,18 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 के हक हिस्सा से कम भूमि दर्ज है अर्थात हिस्सा सही तोर से दर्ज नही है जो सही करवान के अधिकारी है जमाबन्दी में गलत तौर से हिस्से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी सही तोर से हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा जमाबन्दी संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार हिस्सा कस्सी सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है वादी का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ,15 ता 29 को बार बार तलब किया एवं रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 फोरमल पक्षकार भी न्यायालय में उपस्थित नही आये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ,11 ता 14 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद का स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वादी के वाद के अनुसार जमाबन्दी संशोधन की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनो के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर बहस सुनी गई ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा सही तौर से दर्ज नही है जिसका हक हिस्सा वाद भूमि नही है ना ही भूमि काश्त करते है उसके नाम भी जमाबन्दी में दर्ज है तथा वसीयत के आधार पर प्राप्त भूमि को बेचान करने के अपरान्त समस्त भूमि से ही नाम कलमजन कर दिया जबकि बेचान करने के बाद उसका हक हिस्सा शेष रहता है जो अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा मृतकों के नाम से भूमि दर्ज है जो उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया की वादी के अनुतोष से हम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सहमत है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया गया है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से संशोधन राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वर्तमान जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण सयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है वादी का कथन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार सही तौर से दर्ज नही है जिसे सही तौर से वादी के अनुतोष के अनुसार दर्ज की जावे वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के अनुतोष से हक पक्षकार सहमत है उसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उल्लेखनिय है कि जमाबन्दी में दर्ज सयुक्त खतेदार आपसी सहमति से जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा को संशोधन करवाने के अधिकारी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 93/85 की कुल 2.5290 है में मृतक मामकोरी पत्नि स्वर्गीय काशीराम व मृतकगण श्योकरण व श्योलाल पुत्र मामराज जाति नाई साकिन फेफाना , व मृतकगण हंसराम , फुलाराम , किरताराम व धन्नाराम पुत्रगण मोति जाति नाई साकिन फेफाना का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 आठो बहिब 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का 60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,18 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 130/71 की कुल 21. 50495 हैक भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 36 सातों बहिब 220 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 30 जयसिह 120 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 दसो 240 हिस्सा के तथा उक्त हिसस में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 छहो बहिब 6/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 ,10 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 चारो 240 हिस्सा तथा उक्त हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 दलीप अकेला 520 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 240 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18 ,19 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 20 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवारी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्रमाप पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
2. रणजीत पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. हेमराज पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
4. मिश्रीलाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
5. हरीसिह पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
6. अमरसिह पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
7. गुडडी पत्नी स्वगीय धर्मपाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. सजना पुत्री धर्मपाल पुत्र किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. हनुमान पुत्र चन्दो पुत्री किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सुभाष पुत्र चन्दो पुत्री किरताराम पुत्र रिखाराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. हरचन्द पुत्र हंसराम पुत्र रिखाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. गुडडी पत्नि स्वर्गीय बनवारीलाल जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. मांगीलाल पुत्र बनवारीलाल पुत्र हसराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
14. शंकरलाल पुत्र बनवारीलाल पुत्र हसराम जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
15. दलीप पुत्र हीराराम पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
16. रामस्वरूप पुत्र चन्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
17. जयलाल पुत्र चन्दाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
18. विधादेवी पत्नि श्योनारायण जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहरं।
19. शारदा पत्नि संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
20. सुरेन्द्र पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
21. विरेन्द्र पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
22. मानसिह पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
23. भरतसिह पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
24. सुभाष पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
25. बाला पुत्री मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
26. मलागिरी पत्नी मनीराम पुत्र मनीराम पुत्र श्योकरण जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर
27. चन्द्रभागी पत्नि श्योलाल जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
28. राजेन्द्र पुत्र श्योलाल जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
29. विधादेवी पुत्री श्योलाल पत्नी बृजलाल जाति नाई निवासी शेखपुरिया तहसील सिरसा जिला सिरसा

असल प्रतिवादी

30. जयसिह पुत्र धन्ना जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
31. शान्ति उर्फ भली पत्नी धन्ना जाति नाई साकिन फेफाना तहसील नोहर
32. रेशमी पुत्री धन्ना पत्नि श्रवण जाति नाई निवासी लक्ष्मी आईस फैक्टी के पास नोहर जिला हनुमानगढ।
33. सुमित्रा पुत्री धन्ना पत्नि भूपसिह जाति नाई साकिन शकुर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा
34. शकुन्तला पुत्री धन्ना पत्नि पुनीम जाति नाई साकिन शंकर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा हाल मलखेडा तहसील भादरा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

35. लिछमा पुत्री धन्ना पत्नि धर्मपाल जाति नाई साकिन शुकर मन्दोरी तहसील व जिला सिरसा हाल मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

36. कृष्णा पुत्री धन्ना पत्नि गोगराज जाति नाई साकिन शमशान घाट के पास नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

37. स्टेट ऑफ राजस्थान जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर।

38. एसबीबीजे शाखा फेफाना तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 295 सन 2013 निर्णय दिनांक– 31/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 93/85 की कुल 2.5290 है में मृतक मामकोरी पत्नि स्वर्गीय काशीराम व मृतकगण श्योकरण व श्योलाल पुत्र मामराज जाति नाई साकिन फेफाना , व मृतकगण हंसराम , फुलाराम , किरताराम व धन्नाराम पुत्रगण मोति जाति नाई साकिन फेफाना का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 30 ता 36 आठो बहिब 20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 का 60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,18 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 130/71 की कुल 21.50495 हैक भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 31 ता 36 सातों बहिब 220 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 30 जयसिंह 120 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 दसो 240 हिस्सा के तथा उक्त हिसस में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 छहो बहिब 6/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 ,10 दोनो बहिब 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 चारो 240 हिस्सा तथा उक्त हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 दलीप अकेला 520 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 ,17 दोनो बहिब 240 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 18 ,19 दोनो बहिब 120 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 20 ता 29 का कोई हक हिस्सा नही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner